

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान - सरकार बनाम परमानन्द

मुकदमा न. 10/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

3.06.2018

पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी परमानन्द पुत्र हरुराम शेषमा मु.पो. पुरा बड़ी तहसील धोद मैसर्स- दुध मानसागर डेयरी बुथ नं. 13657, हाल- दुध मान सागर डेयरी, एन.एच. 52 ए पुरा की ढाणी जिला सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ-967 खाद्य पदार्थ भैंस का दुध का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी परमानन्द के 5,000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया।

Web Copy - Not Official